Dr.Uttam Kumar
SRAP College,Barachakia
Mob no-8210561032

Faculty -Commerce
Subject -Business Organisation
Class -2nd Semester
Session-2023-27

(II) प्रबन्धकीय लाभ (Managerial Advantages)

(1) **योग्य, अनुभवी तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति** (Appointment of Able, Experienced a Hands)—कम्पनी के विस्तृत साधन होने के कारण यह योग्य, अनुभवी प्रबन्धकों तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति उच्च वेतन देकर कर सकती है क्योंकि कम्पनी में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति से व्यापार का लाभ अत्यधिक जाता है जिसके कारण उसके अंशधारियों को सदैव अधिक ही लाभ प्राप्त होता है। साधारण व्यापार में ऐसा होता है। इससे प्रबन्धकीय कुशलता में वृद्धि होती है।

(2) **पूँजी तथा योग्यता का अद्भुत समन्वय** (Co-ordination of Capital and Ability)—संयुक्त कम्पनी पूँजी तथा योग्यता के समन्वय का विचित्र एवं अनुपम उदाहरण है। अंशधारी पूँजी का विनियोग करते है एवं प्रबन्धक अपनी व्यावसायिक योग्यता प्रदान करते है। इन दोनों के समन्वय से कम्पनी के कार्य का संचालन होता है।

(III) आकार सम्बन्धी लाभ (Advantages as to Size)

(1) **बड़ी मात्रा में उत्पादन को प्रोत्साहन** (Incentive to Large Scale Production)—कम्पनी द्वारा पूँजी एकत्रित हो जाती है जिसके कारण बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों की स्थापना होती है तथा बड़ी मात्रा में उत्पादन है। यदि ये कम्पनियाँ नहीं होतीं तो आज करोड़ों रुपये की पूँजी वाले कारखाने विश्व में दिखाई नहीं देते। बड़ी मात्रा में उत्पादन होने से समाज को अनेक लाभ होते हैं; जैसे—उत्पादन की लागत कम हो जाती है, कई लोगों को मिलता है, माल सस्ता बिकता है, सरकार को करों के रूप में करोड़ों रुपये की आय होती है तथा जनता का ऊँचा उठने लगता है। टाटा समूह इसका ज्वलन्त उदाहरण है जिसमें 91 कम्पनियाँ कार्यरत हैं।

(2) **नवीनतम उत्पादन विधियों का प्रयोग सम्भव** (Use of Latest Production Techniques Possible)—आर्थिक साधन तथा बड़ी मात्रा में उत्पादन होने के कारण कम्पनियों में नवीनतम उत्पादन विधियों का लागू करना जाता है। विवेकीकरण, आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध की योजनाओं को लागू करने के अनेक लाभ होते हैं।

(3) **औद्योगिक अनुसन्धान सम्भव** (Industrial Research Possible)—कम्पनी संगठन के विस्तृत आ होने के कारण व्यक्तिगत रूप से अनुसन्धानशालाओं का निर्माण करके तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाकर अनुसन्धान सम्भव हो जाता है। ऐसा करने से एक ओर तो प्रति इकाई उत्पादन व्यय कम हो जाता है तथा दूसरी ओर की किस्म में सुधार हो जाता है।

(IV) सामाजिक लाभ (Social Advantages)

(1) **जनतान्त्रिक स्वामित्व** (Democratic Ownership)—कम्पनी की समस्त पूँजी छोटी-छोटी इकाइयों में होती है जिनको हम 'अंश' कहते हैं। इनको साधारण व्यक्ति ही आसानी से खरीद सकते है, अतः पूँजी सुविधा अधिक संख्या में भिन्न-भिन्न लोगों से प्राप्त होती है। परिणामस्वरूप जनसाधारण भी कम्पनी का अंश खरीदकर अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर सकता है। इसके कारण इस अवस्था में 'जनतान्त्रिक स्वामित्व' का निर्माण होता है।

(2) **स्थायी अस्तित्व** (Perpetual Existence)—कम्पनी का अस्तित्व स्थायी होने के कारण अंशधारियों के मृत्यु, दिवालिया आदि का इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक के बाद एक अंशधारी आते और है किन्तु कम्पनी के स्वरूप में उनके आवागमन से कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसके विपरीत साझेदारी का अस्तित्व अस्थायी है। किसी भी सदस्य की मृत्यु अथवा पागल या दिवालिया होने की दशा में साझेदारी के भंग हो जाने की आशंका उत्पन्न हो जाती है। स्थायी अस्तित्व होने के कारण ही कम्पनी दीर्घकालीन अनुबन्ध कर सकती है।

कम्पनी या संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी के दोष अथवा सीमाएँ (Demerits or Limitations of a Company)

संयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों के दोषों का अध्ययन करने से पूर्व हमें यह जान लेना चाहिए कि कम्पनी का प्रजातन्त्रीय सिद्धान्त पर किया जाता है। जिस प्रकार प्रजातन्त्रीय व्यवस्था अनेक सुधार एवं अनुभवों के उपरान्त भी परिपूर्ण है, उसी प्रकार कम्पनी व्यवसाय भी दोषों से भरा हुआ है। अनेक स्थानों पर प्रजातन्त्र हानिकारक तथा हुआ है और इसी प्रकार यह कम्पनियों में भी अनेक स्थानों में असफल हुआ है। आज विश्व में पूँजीवादी व्य प्रोत्साहन देने में इन कम्पनियों का व्यापक स्थान है जिसकी चोट से बहुसंख्यक गरीब वर्ग बुरी तरह से पीड़ित होने करने पर उतारू हो गया है। कम्पनी के महत्वपूर्ण दोष अग्रलिखित है—

) प्रबन्धकीय दोष (Managerial Disadvantages)

(1) **प्रवर्तकों द्वारा कपट** (Fraud by Promotors)—प्रवर्तकों को कम्पनी की विषय में पूर्ण रूप से कम्पनी पर अपना आधिपत्य जमाना एवं अपनी स्वार्थ-सिद्धि कर लोगों को प्रारम्भ में संचालक के पदों पर नियुक्त करते हैं। जैसे ही कम्पनी सुचारु वर्तक तुरन्त ही प्रबन्धकर्ता बन जाते हैं। इस प्रकार अपनी स्थिति से लाभ उठाकर वे कम्प । यहाँ तक कि विनियोगों में धन प्राप्त करने के पश्चात् वे उसे हड़प कर कम्पनी का

(2) **अनुत्तरदायी प्रबन्ध** (Irresponsible Management)—एकाकी व्यापारी औ बन्ध में आन्तरिक प्रबन्ध प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वेतनभोगी प्रबन्ध त्तरदायी न होने के कारण व्यावसायिक हितों में अधिक दिलचस्पी नहीं लेते हैं, अतः हो जाती है।

(3) **गोपनीयता का अभाव** (Lack of Secrecy)—समस्त कार्य सभाओं में त अपने लेखों (Accounts) को जनता के सामने प्रकाशित करना पड़ता है जिसके कारण विपरीत अन्य व्यावसायिक संगठनों (एकाकी व्यापार, साझेदारी आदि) में गोपनीयता र

(4) **निर्माण प्रक्रिया में जटिलता** (Complexity in Formation Procedur वैधानिक कार्यवाहियाँ पूरी करनी पड़ती है जिसमें बहुत-सा समय और धन व्यय होता साझेदारी को सुविधापूर्वक स्थापित किया जा सकता है। इनका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवा कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, प्रारम्भिक व्यय भी कभी-कभी कम्पनी के निर्माण जिससे पूँजी का बहुत बड़ा भाग यों ही चला जाता है।

(5) **हित-संघर्ष** (Conflict of Interests)—कम्पनी के विभिन्न हित आपस मे (Preference Shareholders) चाहते है कि उन्हें निश्चित दर से लाभांश मिलने के जाय। इसके विपरीत साधारण अंशों के धारक (Ordinary Shareholders) चाहते है के रूप में वितरित कर दे। अतः कम्पनी के स्वामी (अंशधारी) तथा प्रबन्धकों के अपने क्षणिक लाभों के लिए कम्पनी के हितों की तनिक भी परवाह नहीं करते है। इ का अखाड़ा मात्र ही बनकर रह गयी है। इसे रोकने के लिए कम्पनी अधिनियम में फिर भी यह संघर्ष कम होने के स्थान पर पनपता ही दिखायी देता है।

(6) **शीघ्र निर्णयों का अभाव** (Lack of Prompt Decisions)—कम्पनी की सभाओं में प्रस्ताव पारित करके लिये जाते है। इन सभाओं को बार-बार बुलाना संचालकों की सभाओं में प्रस्ताव पारित करके लिए जाते है जहाँ प्रत्येक बात पर में विलम्ब होना स्वाभाविक है। कभी-कभी शीघ्र निर्णय के अभाव में अनेक सुनहरे

(7) **अत्यधिक वैधानिक हस्तक्षेप** (Excessive Legal Interference)—क वैधानिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है जिसके कारण प्रबन्धकों का बहुमू करने तथा वैधानिक परामर्शदाताओं से परामर्श करने में ही नष्ट हो जाता है। इस शिथिल पड़ जाती है तथा लालफीताशाही पनपने लगती है।

(II) सामाजिक दोष (Social Disadvantages)

(1) **एक-व्यक्ति वाली कम्पनी के दोष** (Evils of One-Man Co दायित्व का लाभ उठाकर कम्पनी के रूप में व्यापार आरम्भ कर देता है। एक द्वारा तथा निजी कम्पनी का निर्माण केवल दो ही व्यक्तियों द्वारा किया जा सक स्वामी के रूप में कार्य करता है, अन्य सदस्य या सदस्यों को नामजद (Nom हो जाता है। वही व्यक्ति आवश्यक पूँजी तथा अन्य साधनों को इकट्ठा करके है। शेष अंशधारी तो उसके द्वारा मनोनीत होने के कारण केवल नाममात्र के

(2) **व्यावसायिक संयोगों का जन्म** (Birth to Business Com स्था व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने एवं एकाधिकार (Monopoly) स्था देती है जिसके कारण 'उपभोक्ताओं का शोषण' होता है तथा 'पूँजीवादी प्रथा

(I) **प्रबन्धकीय दोष** (Managerial Disadvantages)

(1) **प्रवर्तकों द्वारा कपट** (Fraud by Promotors)—प्रवर्तकों को कम्पनी की स्थापना करने का अधिकतर उद्देश्य भविष्य में पूर्ण रूप से कम्पनी पर अपना आधिपत्य जमाना एवं अपनी स्वार्थ-सिद्धि करते रहना ही होता है। वे केवल अपने ही लोगों को प्रारम्भ में संचालक के पदों पर नियुक्त करते है। जैसे ही कम्पनी सुचारु रूप से व्यापार करने लग जाती है, प्रवर्तक तुरन्त ही प्रबन्धकर्ता बन जाते है। इस प्रकार अपनी स्थिति से लाभ उठाकर वे कम्पनी के साधनों का शोषण करने लगते है। यहाँ तक कि विनियोगों में धन प्राप्त करने के पश्चात् वे उसे हड़प कर कम्पनी का तुरन्त समापन कर देते है।

(2) **अनुत्तरदायी प्रबन्ध** (Irresponsible Management)—एकाकी व्यापारी और साझेदारी प्रबन्ध के विपरीत कम्पनी प्रबन्ध में आन्तरिक प्रबन्ध प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वेतनभोगी प्रबन्धक तथा संचालक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी न होने के कारण व्यावसायिक हितों में अधिक दिलचस्पी नहीं लेते हैं, अत: प्रबन्ध में उत्तरदायित्व की भावना कम हो जाती है।

(3) **गोपनीयता का अभाव** (Lack of Secrecy)—समस्त कार्य सभाओं में तय होते है तथा इनका समय-समय पर अपने लेखों (Accounts) को जनता के सामने प्रकाशित करना पड़ता है जिसके कारण गोपनीयता समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत अन्य व्यावसायिक संगठनों (एकाकी व्यापार, साझेदारी आदि) में गोपनीयता रहती है।

(4) **निर्माण प्रक्रिया में जटिलता** (Complexity in Formation Procedure)—कम्पनी का निर्माण करने में कई वैधानिक कार्यवाहियाँ पूरी करनी पड़ती हैं जिसमें बहुत-सा समय और धन व्यय होता है। इसके विपरीत एकाकी व्यापार तथा साझेदारी को सुविधापूर्वक स्थापित किया जा सकता है। इनका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, जबकि कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, प्रारम्भिक व्यय भी कभी-कभी कम्पनी के निर्माण में आवश्यकता से अधिक हो जाते है जिससे पूँजी का बहुत बड़ा भाग यों ही चला जाता है।

(5) **हित-संघर्ष** (Conflict of Interests)—कम्पनी के विभिन्न हित आपस में टकराते है। पूर्वाधिकार अंशों के धारक (Preference Shareholders) चाहते हैं कि उन्हें निश्चित दर से लाभांश मिलने के पश्चात् शेष राशि संचित कोष में चली जाय। इसके विपरीत साधारण अंशों के धारक (Ordinary Shareholders) चाहते है कि कम्पनी अपना सम्पूर्ण लाभ लाभांश के रूप में वितरित कर दे। अत: कम्पनी के स्वामी (अंशधारी) तथा प्रबन्धकों के आपसी हितों में संघर्ष रहता है। प्रबन्धक अपने क्षणिक लाभों के लिए कम्पनी के हितों की तनिक भी परवाह नहीं करते है। इस प्रकार कम्पनी विभिन्न हितों के संघर्ष का अखाड़ा मात्र ही बनकर रह गयी है। इसे रोकने के लिए कम्पनी अधिनियम में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। फिर भी यह संघर्ष कम होने के स्थान पर पनपता ही दिखायी देता है।

(6) **शीघ्र निर्णयों का अभाव** (Lack of Prompt Decisions)—कम्पनी संगठन में सभी महत्वपूर्ण निर्णय कम्पनी की सभाओं में प्रस्ताव पारित करके लिये जाते है। इन सभाओं को बार-बार बुलाना सम्भव नहीं हो पाता है। प्रबन्धकीय निर्णय संचालकों की सभाओं में प्रस्ताव पारित करके लिए जाते हैं जहाँ प्रत्येक बात पर तर्क-वितर्क होता है। परिणामस्वरूप निर्णयों में विलम्ब होना स्वाभाविक है। कभी-कभी शीघ्र निर्णय के अभाव में अनेक सुनहरे व्यावसायिक अवसर हाथ से निकल जाते हैं।

(7) **अत्यधिक वैधानिक हस्तक्षेप** (Excessive Legal Interference)—कम्पनी को प्रारम्भ से लेकर अन्त तक अत्यधिक वैधानिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है जिसके कारण प्रबन्धकों का बहुमूल्य समय वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने तथा वैधानिक परामर्शदाताओं से परामर्श करने में ही नष्ट हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी की प्रबन्ध व्यवस्था शिथिल पड़ जाती है तथा लालफीताशाही पनपने लगती है।

(II) **सामाजिक दोष** (Social Disadvantages)

(1) **एक-व्यक्ति वाली कम्पनी के दोष** (Evils of One-Man Company)—कभी-कभी एक व्यक्ति भी सीमित दायित्व का लाभ उठाकर कम्पनी के रूप में व्यापार आरम्भ कर देता है। एक सार्वजनिक कम्पनी का निर्माण सात व्यक्तियों द्वारा तथा निजी कम्पनी का निर्माण केवल दो ही व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। ऐसी दशा में कोई भी एक व्यक्ति, जो स्वामी के रूप में कार्य करता है, अन्य सदस्य या सदस्यों को नामजद (Nominate) करके कम्पनी की स्थापना करने में समर्थ हो जाता है। वही व्यक्ति आवश्यक पूँजी तथा अन्य साधनों को इकट्ठा करके कम्पनी का संचालन करने में सफल हो जाता है। शेष अंशधारी तो उसके द्वारा मनोनीत होने के कारण केवल नाममात्र के ही होते हैं।

(2) **व्यावसायिक संयोगों का जन्म** (Birth to Business Combinations)—कई कम्पनियाँ आपस में मिलकर व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने एवं एकाधिकार (Monopoly) स्थापित करने के लिए व्यावसायिक संयोगों को जन्म देती है जिसके कारण 'उपभोक्ताओं का शोषण' होता है तथा 'पूँजीवादी प्रथा' (Capitalism) को प्रोत्साहन मिलता है। अत्यधिक